भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. *4

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018 / 20 अग्रहायण, 1940 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महिला पर्यटकों की सुरक्षा

***4. डा॰ विकास महात्मेः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत तीन वर्षों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए महिला पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट को रोका जा सके; और

(ख) प्रशिक्षित और पंजीकृत महिला टूरिस्ट गाइडों की संख्या में वृद्धि के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के.जे. अल्फोंस)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

महिला पर्यटकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 11.12.2018 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न सं.*4 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और पुलिस' राज्य का विषय हैं । इस प्रकार, घरेलू एवं विदेशी दोनों पर्यटकों सहित पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है । नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमन में 14% की वृद्धि हुई है ।

क्र.सं.	मानदंड	2015	2016	2017
1.	भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन)	8.03 (4.6%)	8.80 (9.6%)	10.04 (14.0%)

पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(i) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचारसंहिता को अपनाया है जो पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की मर्यादा, सुरक्षा एवं शोषण से मुक्ति जैसे मूल अधिकारों के लिए सम्मान की भावना के साथ पर्यटन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित दिशा-निर्देश हैं ।

(ii) पर्यटन मंत्रालय द्वारा परंपरागत भारतीय मूल्यों और 'अतिथि देवो भव' की अवधारणा के संबंध में हितधारकों और आम जनता को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से टेलिविज़न पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । इस अभियान में दो कमर्शियल है; एक पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार के विरूद्ध संवेदनशीलता पैदा करने के संबंध में और दूसरा पर्यटक स्थलों तथा सड़कों की साफ-सफाई के बारे में है।

(iii) हितधारकों ने 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' के कार्यान्वयन हेतु अपने-अपने संगठनों में फोकल बिंदुओं की पहचान की है ।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को यात्रा के दौरान भारत में यात्रा से संबंधित सूचना के लिए सहायता सेवा प्रदान करने तथा भारत में संकट के समय भी पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए फरवरी, 2016 में हिंदी और अंग्रेजी तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800-111363 अथवा लघु कोड 1363 पर 24X7 टोल फ्री बहु-भाषायी पर्यटक इंफो हेल्प लाइन आरंभ की है ।